न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 65 / 2024

प्रविष्टि दिनांक 19.07.2024

जरिये नन्दराम मीणा,कृषि अधिकारी (पौ.स.) एंव उर्वरक निरीक्षक कार्यालय सहायक निदेषक कृषि (वि.)टोंक

– प्रार्थी

बनाम

1–श्री संजय वर्मा पुत्र श्री रामसमुझ वर्मा निवासी जी–162 रिको इण्ड. एरिया वनस्थली मोड निवाई जिला टोंक

2–श्री महेन्द्र जैन पुत्र श्री चिरंजीलाल जैन प्रोपराईटर मैसर्स राकेष इन्जिनियरिंग कम्पनी निवाई जिला टोंक निवासी वार्ड नं.12 फूटी बावडी के पास निवाई जिला टोंक

3–श्री राकेश जैन पुत्र श्री चिरंजीलाल जैन,वार्ड नं.12 फूटी बावडी के पास निवाई जिला टोंक

– अप्रार्थी

उर्वरक नियंत्रण आदेष 1985 की धारा 28 (1)(d) एंव आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 / 7

उपस्थितः–

1– श्री नन्दराम मीणा, सहायक निदेशक उघान कार्यालय उपनिदेशक उघान टोंक, प्रार्थी स्वयं।

2– श्री तेजमल जैन, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 28.11.2024

न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 14.11.2022 से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर अप्रार्थी ने उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुये निरस्त किये जाने हेतु माननीय सैशन न्यायाधीश टोंक के समक्ष अपील दायर की गई। माननीय सैशन न्यायाधीश टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 11.06.2024 से न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 14.11.2022 को अपास्त किया जाता है और यह अपेक्षा की जाती है कि योग्य विचारण न्यायालय अपीलार्थीगण (अप्रार्थीगण)द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक

जिला कलेक्टर
टोंक

दृष्टान्त एंव शपथ पत्र व दस्तावेजो के आधार पर दोनो पक्षो को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त नये सिरे से विधि अनुसार 4 माह के भीतर प्रकरण का निस्तारण करे। प्रकरण के पुनः निस्तारण किये जाने तथा योग्य विचारण न्यायालय जिला कलेक्टर द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 14.11.2022 की क्रियान्वती स्थगित रहेगी का उल्लेख किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण में बहस पेरोकार सरकार एवं अभिभाषक अप्रार्थीगण सुनी गयी।

प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 26.08.2022 को सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, टोंक के साथ उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौ.सं.) हाल पदस्थापन सहायक निदेशक कृषि (वि.) टोंक ने अवैध उर्वरक (DAP) भण्डारण की सूचना पर मैसर्स बालाजी टेप प्रा.लि. जी–162, रिको इण्ड. एरिया, बनस्थली मोड, निवाई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कृषि–विभाग टोंक से कृषि अधिकारी (सामान्य) एवं कृषि पर्यवेक्षक, कार्यालय उपनिदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद टोंक साथ रहे। निरीक्षण के दौरान मौके पर मैसर्स बालाजी टेप प्रा.लि. के प्रतिनिधि श्री संजय वर्मा उपस्थित पाये गये को परिचय देकर फर्म जाब्ता तलाशी ली गई एवं निरीक्षण में मैसर्स बालाजी टेप प्रा.लि. जी–162, रिको इण्ड. एरिया, बनस्थली मोड, निवाई में 272 बैग प्रत्येक 50 किलोग्राम DAP उर्वरक का अवैध भण्डारण पाया गया। DAP उर्वरक निर्माता इण्डियन पोटाश लिमिटेड बैंच संख्या (02) –F/22 के 272 बैग प्रत्येक 50 किलोग्राम वजन को FCO 1985 की धारा 28 (1) (d) में जब्त किया गया। उर्वरक जब्ती के दौरान श्री राकेश कुमार जैन प्रतिनिधि मैसर्स राकेश इन्जिनियरिंग कम्पनी, निवाई उपस्थित हुये और उन्होंने बताया की उक्त उर्वरक मैसर्स राकेश इन्जिनियरिंग कम्पनी, निवाई, जिला टोंक का है जिसके कय बिल हमारे पास है जो कि किसनराम मोहनलाल एण्ड कम्पनी, देवली, जिला टोंक से प्राप्त हुये है। उक्त 272 बैग अवैध भण्डारित किये गये DAP उर्वरक को किसान कय विक्रय सहकारी समिति, निवाई के कनिष्ठ लिपिक श्री रामबाबू शर्मा की अभिरक्षा में देकर सुरक्षित रखने का वचन लेकर सुपुर्दगी दी गई। अप्रार्थी द्वारा जो बिल पेश किए गए है, वे POS मशीन से जारी किए हुए नहीं है बल्कि ऑफलाईन जारी किए हुए है। POS मशीन से जारी किए हुए बिल किसानों के ओटीपी के आधार पर जारी होते है व उनमें विक्रय दिनांक भी अंकित होती है। **जांच के दौरान अवैध भण्डारित उर्वरक का स्टॉक में संधारण नहीं होना पाया गया।** विक्रेता द्वारा ऑफलाईन बिल प्रस्तुत किये गये है, जबकि भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के आदेश दिनांक 17.03.2017 द्वारा 100 % subsidy Fertilizers आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर दी जाती है। क्रेता की डिटेल्स POS के माध्यम से ली जाती है। अवैध भण्डारित खाद से किसानों को समय पर उर्वरक आपूर्ति बाधित होने की आशंका है एवं अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलता है। यह उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का

जिला कलेक्टर
टोंक

उल्लघन होने से उक्त खाद जप्त सरकार किया गया है जिसे राजसात किया जावे। प्रार्थी ने अपने कथन की तायद में उक्त आदेश की प्रति पेश की है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि माननीय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14.11.2022 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर जब्तशुदा 272 बैग प्रत्येक 50 किलोग्राम DAP उर्वरक को राजसात किए जाने का आदेश दिए जाने के उपरांत अप्रार्थीगण ने माननीय सैशन न्यायधीश टोंक के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। माननीय सैशन न्यायधीश टोंक द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.06.2024 से प्रकरण को न्यायिक दृष्टान्त एंव शपथ पत्र व दस्तावेजो के आधार पर दोनो पक्षो को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त नये सिरे से विधि अनुसार 4 माह के भीतर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु रिमाण्ड किया है। दिनांक 26.08.2022 को मै. बालाजी टेप प्रा. लि. जी 162 इण्डिस्ट्रीयल एरिया वनस्थली मोड निवाई पर 272 बैग डीएपी उर्वरक जब्त किया गया जो राकेश इंजिनियरिंग कम्पनी जरिए प्रो.राकेश कुमार जैन निवासी निवाई द्वारा किशनराम मोहन लाल द्वारा जरिऐ बिल क्रय किये गये हैं उक्त डी ए पी उर्वरक 272 बैग को मौके पर अवैध भण्डारण के रूप में मौके पर जब्त किये जाकर किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति निवाई के कनिष्ठ लिपिक श्री रामबाबू शर्मा की कस्टडी में सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया। उक्त उर्वरक डीएपी का अवैध भण्डारण नहीं किया गया है तथा सभी कार्यवाही गलत एंव खिलाफ कानून है तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का कहीं उल्लंघन नही हुआ है, उक्त जब्तशुदा उर्वरक लाईसेंस धारी राकेश इंजिनियरिंग कम्पनी झिलाय रोड निवाई द्वारा नियमानुसार विक्रीत काश्तकारो को जरिये बिल विभिन्न तारीखों में बिक्री किये गये थे। वास्तविकता यह है कि भिन्न–भिन्न काश्तकारों ने राकेश इंजिनयिरिंग कम्पनी से अपनी आवश्यकता के लिए दिनाक 11.08.2022 से दिनाक 21.08.2022 तक उर्वरक डीएपी बिलों से क्रय किया गया, लेकिन अत्यधिक बरसात के कारण उनको सुरक्षा की दृष्टि से मैं. बालाजी टेप प्रा. लि. रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया में रखवाकर बाद में ले जाने की कहकर उर्वरक रखवा दिया था जो निम्न काश्तकारों का क्रयशुदा उर्वरक था।

ए. श्रीमति मनोहर देवी पत्नि चिरंजी लाल निवासी सुनारा हाल मुकाम निवाई
20 बैग दिनाक 12.08.2022 बिल नम्बर 2290
25 बैग दिंनाक 13.08.2022 बिल नम्बर 2293

बी. शक्ति सिंह राघवेन्द्र सिंह पुत्र वीर बहादुर सिंह, मरूधर कवंर पत्नि वीर बहादुर सिंह निवासी सुनारा तहसील निवाई जिला टोंक
20 बैग दिंनाक 12.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2286
20 बैग दिंनाक 12.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2288
20 बैग दिनाक 11.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2287
20 बैग दिनाक 21.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2289

सी. रामस्वरूप व रामनारायण निवासी जगतपुरा तहसील निवाई

जिला कलेक्टर
टोंक

18 बैग दिनाक 16.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2294
18 बैग दिनाक 17.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2296
15 बैग दिनाक 18.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2297
डी. छीतर नेहनू पुत्र लछमा मीणा निवासी श्रीजगपुरा (थूणी) तहसील निवाई
20 बैग दिंनाक 17.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2295
20 बैग दिंनाक 18.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2298
20 बैग दिनाक 18.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2299
6 बैग दिंनाक 19.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2300 ई. चिंरजी लाल पुत्र किस्तूर चन्द जाति जैन निवासी सुनारा हाल मुकाम निवाई तहसील निवाई
15 बैग दिंनाक 12.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2291
16 बैग दिंनाक 12.08.2022 जरिये बिल नम्बर 2292

उक्त प्रकार से जब्तशुदा 272 बैग उर्वरक डी ए पी उक्त काश्तकारों के कयशुदा सुरक्षा हेतु रखे हुए थे, जो वैध रूप से रखे हुए थे तथा उक्त काश्तकारो से प्रार्थीगण की अच्छी जानकारी होने के कारण उन्होने विश्वास से क्रय किये थे जो उन्हें प्राप्त करने का विधिक अधिकार है। अतः कार्यवाही ड्राप की जाकर उक्त जब्तशुदा 272 बैग उर्वरक डीएपी प्रतिपक्षीगण को वापस दिलाये जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

हमने प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थीगण बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती /मौका निरीक्षण रिपोर्ट दि0 26.08.2022 के अनुसार मैसर्स बालाजी टेप प्रा.लि. जी–162, रिको इण्ड. एरिया, बनस्थली मोड, निवाई का निरीक्षण करने पर मौके पर 272 बैग प्रत्येक 50 किलोग्राम DAP उर्वरक का अवैध भण्डारण पाया गया। DAP उर्वरक निर्माता इण्डियन पोटाश लिमिटेड बैंच संख्या (02) –F/22 के 272 बैग प्रत्येक 50 किलोग्राम वजन को FCO 1985 की धारा 28 (1) (क) में जब्त किया गया।

जांच/निरीक्षण करने पर दुकान/गोदाम मे मौके पर 272 बैग प्रत्येक 50 किलोग्राम DAP उर्वरकं का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका जप्ती/मौका रिपोर्ट पर कजोडमल गुर्जर,राकेश जैन,रामजीलाल तथा सहायक कलेक्टर टोंक के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी कजोडमल गुर्जर,रामजीलाल तथा हरिराम के हस्ताक्षर है। किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति, निवाई के कनिष्ठ लिपिक श्री रामबाबू शर्मा को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन हैं कि उक्त उर्वरक डीएपी का अवैध भण्डारण नहीं किया गया है तथा सभी कार्यवाही गलत एंव खिलाफ कानून है तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का कहीं भी उल्लंघन नही हुआ है, उक्त जब्तशुदा उर्वरक लाईसेंस धारी राकेश इंजिनियरिंग कम्पनी झिलाय रोड निवाई द्वारा नियमानुसार विकीत काश्तकारो को जरिये बिल विभिन्न तारीखों में बिकी किये गये थे,परन्तु मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 26.08.2022 मे इन बिलो का उल्लेख नही है। प्रस्तुत बिलों का अवलोकन करने से जाहिर

न्यायालय जिला कलेक्टर

जिला कलेक्टर
टोंक

हैं कि बिल आफलाईन जारी किए गए है और बिल में उर्वरक की दर प्रति बैग 1350 रूपये अंकित है। प्रस्तुत बिलों में राशि 1350 रूपये प्रति बैग अंकित हैं जो DAP उर्वरक की सरकार द्वारा जारी सब्सिडी दी जाने के बाद की दर है। 100 % subsidy Fertilizers आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर दी जाती है।

F.No. D(FA)/2016/DBT Government of India MInistry of Chemicals& Fertilizers Department of Fertilizers के आदेश दिनांक 17 मार्च 2017 में अंकित किया है कि–

"The DBT system entails 100% payment of subsidy of the fertilizer manufacturing/importing companies on the basis of actual sales by the retailer to the beneficiary. The farmers or buyers identity is verified through Aadhar based biometric authentication/Voter ID Card/Kisan Credit Card(KCC).

The buyers details will be captured in the Point Of Sale (POS) machines installed at the retailer's end, having online connectivity with central server. All the Fertilizer sale transactions will be tracked online (Company wise, Plane wise, Product Wise etc.) in the Integrated Fertilizers Management System (iFMS)."

उक्त आदेश से स्पष्ट हैं कि उर्वरक/खाद किसानों को POS मशीन के आधार पर जारी किए गये बिलों से विक्रय किया जाना अनिवार्य है, परन्तु अप्रार्थी ने आफलाईन बिलों के आधार पर उर्वरक विक्रय किया है। आफलाईन बिल/बिलों की छायाप्रतियां भी दौराने जांच अप्रार्थीगण द्वारा जांच दल को उपलब्ध नहीं करवाई गयी है।

उक्त खाद के अवैध भण्डारण के चलते मौका रिपोर्ट, नक्शा, फर्द जब्ती आदि पत्र तैयार कर उक्त खाद को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) (d) के अनुसरण में जब्त किया गया है। अवैध भण्डारित खाद से किसानों को समय पर उर्वरक आपूर्ति बाधित होने की आशंका है एवं अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलता है। यह उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लघन है। अतः उक्त DAP उर्वरकं (खाद) को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 272 नग DAP उर्वरकं प्रत्येक 50 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। कृषि अधिकारी (पौ.स.) एंव उर्वरक निरीक्षक कार्यालय सहायक निदेषक कृषि (वि.)टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा DAP उर्वरक (खाद) का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या ,झा)
जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक